

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 सितम्बर 2011—भाद्र 12, शक 1933

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का 4) की धारा-18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में श्री विभांशु जोशी, भोपाल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है.

2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-19 के प्रावधान अंतर्गत उक्त सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.